संख्या– 169 /IX–1/215/20

प्रेषक,

सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
2– समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड।
3– मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमॉऊ, उत्तराखण्ड।
4– पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।

परिवहन अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 10 मार्च, 201

विषय– राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु शासकीय वाहनों के क्रय के संबंध में नीति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिवहन विभाग द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या– 65/IX–1/2013/215 /2011 दिनांक 17 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या–152/IX–1/215(2011)/2016, दिनांक 29.02.2016 को अवक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड राज्य के विशिष्ट एवं अति विशिष्ट महानुभावों तथा विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों हेतु वाहनों के क्रय एवं रखरखाव से संबंधित व्यवस्था में एकरूपता बनाये जाने के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासकीय/सरकारी वाहनों के क्रय/अधिप्राप्ति के संबंध में निम्न नीति निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया हैः–

(1) विभिन्न श्रेणी के महानुभावों एवं अधिकारियों को शासकीय/सरकारी वाहनों की अनुमन्यता के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा समय समय पर आदेश निर्गत किये जाते हैं। अतः यह नीति उक्त आदेशों का अतिक्रमण नहीं करती है, और संबंधित विभागों की वाहनों के संबंध में अनुमन्यता की व्यवस्था पूर्ववत् प्रभावी रहेंगी अर्थात जिन अधिकारियों को दिनांक 17.01.2013 से पूर्व किन्हीं आदेशों के अन्तर्गत वाहन अनुमन्य है को यथावत् वाहन अनुमन्य होगा।

(2) जब तक अन्यथा उपबन्धित न किया जाय, एक अधिकारी को एक ही स्रोत से वाहन अनुमन्य होगा, भले ही अधिकारी के पास एक से अधिक विभाग/पद का प्रभार हो।

(3) विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं महानुभावों को शासकीय/सरकारी वाहनों के मॉडल/मूल्य निम्न प्रकार अनुमन्य होंगेः–

श्रेणी	महानुभाव/अधिकारी	अधिकतम वाहन क्रय मूल्य
A	मा0 कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्य सचिव, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अपर मुख्य सचिव, प्रिन्सिपल चीफ ऑफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, महानिदेशक पुलिस।	15 लाख

B	प्रमुख सचिव, सचिव, मण्डलायुक्त पुलिस महानिरीक्षक, एडीशनल चीफ ऑफ कन्जर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एवं अन्य समकक्ष।	
C	विभागाध्यक्ष, अपर सचिव, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य समकक्ष।	08 लाख
D	अन्य अधिकृत अधिकारी/निदेशालयों के अधिकारी/निगमों के अधिकारी आदि/समकक्ष।	06 लाख
E	जनपद स्तरीय अधिकारी एवं अन्य अधिकृत अधिकारी जिन्हें पूर्व से विभाग द्वारा वाहन अनुमन्य हो।	06 लाख

(4) प्रस्तर 3 में अनुमन्यता की सीमा तक वाहनों की अधिप्राप्ति निम्न प्रकार की जायेगी:–

(क) श्रेणी A के महानुभावों/अधिकारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था शासन द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरों पर क्रय के माध्यम से की जायेगी, परन्तु किसी मॉडल का वाहन डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों पर उपलब्ध न हों, तो वाहन बाजार मूल्य पर भी क्रय किया जा सकता है।

(ख) श्रेणी B, C, D, E के अन्तर्गत मण्डलायुक्त पुलिस के अधिकारी/अन्य प्रर्वतन अधिकारियों (परिवहन, आबकारी, वन, राजस्व, वाणिज्य कर, जिला प्रशासन के अधिकारी) तथा प्रशासन की गोपनीयता संवेदनशीलता सुरक्षा के दृष्टिगत ऐसे पद जिनके लिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन की व्यवस्था करना उचित नहीं है, के लिए वाहनों की व्यवस्था शासन द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों के माध्यम से की जायेगी।

(ग) उपरोक्त के अतिरिक्त ऐसे अधिकारी जिनके लिए शासन/विभाग द्वारा समय समय पर अधिसूचना के माध्यम से वाहन क्रय किया जाना अनुमन्य किया जाय, वाहनों की व्यवस्था शासन द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दरों पर क्रय के माध्यम से की जायेगी।

(घ) उपरोक्त के अतिरिक्त शेष अधिकारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दो विकल्प होगें:–

(एक) आउटसोर्सिंग के माध्यम से अधिप्राप्ति द्वारा।
(दो) संबंधित अधिकारियों द्वारा निजी वाहन के शासकीय कार्य से उपयोग एवं उसके सापेक्ष रिइम्बर्समेंट/प्रतिपूर्ति द्वारा।

(ण) परन्तु, यह की किसी अधिकारी के पास यदि एक से अधिक विभागों (यथा शासन स्तर/विभागाध्यक्ष/जनपद स्तर) का दायित्व हो और उसमें से किसी भी एक विभाग में गाड़ी एवं चालक उपलब्ध हो तो संबंधित अधिकारी को अन्य माध्यम (आउटसोर्सिंग अथवा रिइम्बर्समेंट) की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

(5) आउटसोर्सिंग के माध्यम से अधिप्राप्ति

(क) वाह्य स्रोत से वाहन की उपलब्धता/अधिप्राप्ति के दृष्टिगत देहरादून जनपद के लिए परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें अपर सचिव वित्त, राज्य सम्पत्ति अधिकारी, मुख्य व्यवस्थाधिकारी, राज्य सम्पत्ति विभाग एवं अपर परिवहन आयुक्त, सदस्य होगें। समिति द्वारा वाह्य स्रोत से विभिन्न मॉडल के वाहनों के लिए सांकेतिक दरों (Reference Rates) का निर्धारण किया जाएगा।

(ख) अन्य जिलों के लिए (देहरादून जनपद को छोड़कर) वाह्य स्रोतों से वाहन की अधिप्राप्ति हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी एवं वित्त/लेखा सेवा के जनपद स्तरीय अधिकारी सदस्य होगें। समिति